



एसपीएमसीआईएल भविष्य निधि ट्रस्ट

SPMCIL PROVIDENT FUND TRUST

एसपीएमसीआईएल/वित्त/भ. नि. न्यास/150/22/01/०४

दिनांक: 01 अप्रैल, 2025

परिपत्र-भनि/25-26/01/CIRCULAR - PF/25-26/01

विषय/Sub :- अधिनियम 1925 के अंतर्गत गठित एसपीएमसीआईएल भविष्य निधि न्यास के सदस्यों द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए स्वैच्छिक अंशदान दरों की उद्घोषणा (संयुक्त विकल्प धारक कर्मचारी)/Declaration of VPF Rates for the year 2025-26 by the members of SPMCIL Provident Fund Trust (Combined Optees Employees) formed under 1925 Act – reg.

एसपीएमसीआईएल भविष्य निधि नियम 8 के अनुसार 'भविष्य निधि' में अंशदान करने वाले प्रत्येक सदस्य उप नियम (ख) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अपनी परिलब्धियों का भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत अधिकतम अथवा न्यूनतम प्रतिशत जमा करा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा सामान्य भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अंशदान की दर निर्धारित की गई है। सा भ नि नियम 8 के अनुसार सदस्य की परिलब्धियों का न्यूनतम 6 प्रतिशत तथा अधिकतम कुल परिलब्धियों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुल परिलब्धियों में केवल मूल वेतन तथा ग्रेड वेतन शामिल हैं।

According to SPMCIL Provident Fund Rule 8, "every member contributing to the Provident Fund under sub rule (b), may contribute any sum, so expressed not more or less than the percentage of his emoluments as prescribed by the Central Government under Provident Fund Act 1925. The rate of contribution is prescribed by the Central Government under General Provident Fund Rules. As per Rule 8 of GPF rules, the rate shall not be less than 6 per cent of the subscriber's emoluments and not more than his total emoluments. Total emoluments shall include only basic pay and Grade pay.

2- भविष्य निधि में अपनी परिलब्धियों के 6 प्रतिशत से अधिक अंशदान वाले सदस्य को अंशदान की दर में परिवर्तन की अनुमति निम्नानुसार दी जाएगी:-

- वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार कमी।
- वर्ष के दौरान किसी भी समय दो बार वृद्धि अथवा
- उपरोक्तानुसार कमी या वृद्धि।

इस प्रकार अंशदान की राशि में की जाने वाली कमी न्यूनतम निर्धारित सीमा अर्थात 6 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए तथा वृद्धि के समय यह कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

A member who is permitted to contribute to the Provident Fund an amount exceeding 6 per cent his emoluments shall be allowed to change the rate of contribution in the following manner:

- Reduced once at any time during the course of the year.
- enhanced twice during the course of the year; or
- Reduced and enhanced as aforesaid.


Provided that when the amount of subscription is so reduced, shall not be less than the minimum prescribed limits i.e. 6% and when the subscription is so increased, it should not be more than the maximum of total emoluments.

3- भविष्य निधि न्यास के सभी सदस्यों (संयुक्त विकल्पधारकों) से अनुरोध है कि अप्रैल, 2025 के वेतन से अपने अंशदान में वृद्धि तथा कमी करने हेतु लिखित में आवेदन जमा करें। सदस्यों द्वारा इस संदर्भ में इकाइयों पर संबंधित व्यक्ति को 18.04.2025 तक घोषणा पत्र जमा किया जाए अंशदान की दरों में कमी अथवा वृद्धि हेतु फार्म संलग्न है, घोषणा पत्र जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि 18.04.2025 के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

All the members (combined optees employees) of the Provident Fund Trust are requested to give in writing for increase or decrease their subscriptions with effect from April, 2025 salary onwards. The declaration in this regard may be submitted by the members to concerned person at unit by 18.04.2025 positively. Form for increase or decrease of subscription's rate is attached herewith. The declaration forms will not be accepted after the last date (18.04.2025) of submission of VPF declaration form.

4- इस परिपत्र की सूचना सभी सदस्यों को दी जाए ताकि सदस्य समय पर आवेदन कर सकें। अप्रैल, 2025 माह के मई, 2025 में देय मासिक अंशदान को भेजते समय अंशदान की नई दरों को प्रभावी करा जाये अर्थात् अप्रैल, 2025 के वेतन का आहरण अंशदान की संशोधित दरों के अनुसार किया जाए।

This circular may be brought to the notice of all the members so that members will give their request in time. The new rate of contribution shall be incorporated at the time of sending monthly contribution for the month of April, 2025 payable in May, 2025 i.e. Salary of April, 2025 must be drawn after due revised rates of subscription.



(बन्दिना मोहन /Bandana Mohan)

उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ DGM (F&A)

अनुलग्नक: उपरोक्त/As Above

सभी मुख्य महाप्रबंधक, (टकसाल/मुद्रणालय/कागज कारखाना)एसपीएमसीआईएल

मुख्य महाप्रबंधक (मा. सं.), महाप्रबंधक (वित्त), निगम मुख्यालय

महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी/तक. प्र.), निगम मुख्यालय

सभी न्यासी, एसपीएमसीआईएल भ. नि. न्यास

All Chief GMs (Mints/Presses/Paper Mill), SPMCIL

Chief GM (HR), GM (Fin), Corporate Office

GM (IT/TO), Corporate Office

All Trustees, SPMCIL PF Trust

प्रतिलिपि :

- 1) अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के कार्यालय हेतु /Office of the CMD
- 2) निदेशक (मा.सं.) के का.स./ES to Director (HR)
- 3) निदेशक (वित्त) कार्यालय/ Office of the Director (Finance)
- 4) निदेशक (तक.) के का.स./ ES to Director (T)
- 5) मुख्य सतर्कता अधिकारी के का.स. / ES to CVO, Corporate Office
- 6) सूचना पटल, निगम मुख्यालय/सभी इकाइयों/ Notice Board of Corporate Office/All units.
- 7) इकाइयों के न्यास सहायता केंद्र/ Trust Cell at Units.

एसपीएमसीआईएल भविष्य निधि न्यास-1925

SPMCIL PROVIDENT FUND TRUST-1925

16वां तल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi-110001

अंशदान की न्यूनतम दरों से अधिक भविष्य निधि अंशदान की उद्घोषणा के लिए आवेदन फार्म
Application Form for Declaration of Provident Fund contribution in excess on
minimum rate of contribution

आवेदन तिथि/Date of Application-----

- 1- सदस्य का नाम/Name of the Member -----
- 2- पिता का नाम/Father's Name -----
- 3- जन्म तिथि/Date of Birth-----
- 4- विभाग/अनुभाग/Department/Section-----
- 5- पदनाम/Designation -----
- 6- न्यास द्वारा जारी भ.नि. संख्या /PF No. Allotted by Trust-----
- 7- इकाई में कर्मचारी कोड/Employee Code at Unit -----
- 8- अंशदान की वर्तमान दर/Present rate of contribution -----
- 9- स्वेच्छिक अंशदान की प्रस्तावित दर (अप्रैल, 2025 के वेतन से)/Proposed rate of Voluntary Contribution (from April, 2025 salary onwards) -----(in %)

सदस्य के हस्ताक्षर/अंगुठा निशान/ Signature/ Thumb Expression of member

इकाई में भ.नि. कार्य देखने वाले संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of the concerned person handling PF work at Unit